भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2879
17 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)

2879. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के शुभारंभ के पीछे क्या उद्देश्य और लक्ष्य हैं और इसकी शुरुआत से अब तक क्या उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं;
(ख) गुजरात राज्य में इस योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) सरकार द्वारा पीएमजीकेएवाई का लाभ सभी पात्र परिवारों, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तक पहुँचाने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला भोजन पोषण मानकों के अनुरूप और लाभार्थियों के लिए पर्याप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): देश में, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के चलते गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के विशिष्ट उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) शुरू की गई थी।

केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ कम करने और देशव्यापी एकरूपता तथा गरीबों की सहायता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पीएमजीकेएवाई के तहत दिनांक 1 जनवरी, 2023 से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के परिवारों और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। निःशुल्क अनाज वितरण की अवधि को दिनांक 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसका अनुमानित वित्तीय व्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जिसे पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

...2/-

(ख): इस योजना के तहत गुजरात राज्य की 74.64% ग्रामीण और 48.25% शहरी आबादी को नि:शुल्क अनाज प्राप्त करने का प्रावधान है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 382.85 लाख व्यक्ति हैं। वर्तमान में, गुजरात सरकार ने 365.84 लाख लाभार्थियों की पहचान की है, जो कुल कवरेज का 95.56% हैं।

(ग): पीएमजीकेएवाई का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र और राज्यों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत, लाभार्थियों की पहचान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न का आवंटन, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण और उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमजीकेएवाई के तहत शामिल करने के लिए समाज के सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं, की पहचान करने के लिए परामर्शिका जारी की हैं।

(घ): लक्षित लाभार्थियों में पोषण मानकों में सुधार करने के लिए, सरकार ने दिनांक 25.01.2023 की अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची-II में निर्दिष्ट पोषण मानदंडों को संशोधित किया है।

इसके अलावा, पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को श्रीअन्न (मिलेट्स) खरीदने और स्थानीय खपत प्राथमिकताओं के अनुसार तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को वितरित करने के लिए एक परामर्शिका जारी की गई है।

*****